## न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 865 / 2014 \_ संस्थित दि: 19 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाडा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

### — — — — — — अभियोगी

#### विरुद

सूरज पिता शंकरलाल उइके, उम्र 25 साल, जाति गोंड,

निवासी रैयाराव थाना कुरई जिला सिवनी (म.प्र.)

## .. र्गागण \_ थाटेष ..\_

# (आज दिनांक 29/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया लक्ष्मीबाई ने दिनांक 05.01.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की शान्ति दिनांक 26.06.2013 को शाम के 04:00 बजे उसके मामा महेन्द्रलाल के घर सुरवाही जा रही हूँ बोलकर गई थी। 3–4 दिन बाद उसने उसके भाई महेन्द्रलाल के घर ग्राम सुरवाही जाकर पूछा तो वहां नहीं आई आसपास के रिश्तेदारों से पता किया तो कहीं भी पता नहीं चला। फरियादिया की रिपोर्ट पर से गुम इन्सान कायमी कमांक 11/13 दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी सूरज उइके थाना कुरई जिला सिवनी बहला फुसलाकर ले जाना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में अपराध कमांक 3/14 अन्तर्गत धारा 361, 366(क) मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि. एवं 23, 26 बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

आपराधिक प्र.क.: 865/2014

- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 363, 366, 376 भा.दं. वि. एवं 23, 26 बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 13.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ई) (डी.एस.मण्डलोई) भ्रम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्राट बैहर, जिला बालाघाट